मांग संख्या 10
मुख्य शीर्ष 2406

मद कमांक-1-8,10-18,27 तथा 30-33

वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में उद्देश्य शीर्ष एवं विस्तृत शीर्ष में संशोधन एवं परिवर्तन किया गया है । उक्त शीर्षो में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जावेगी ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 9

इमारती लकडी, खैर एवं बांस के राजकीय व्यापार के अंतर्गत विक्रय कर के भुगतान हेतु रूपये 450.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 4,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 19 से 26

इमारती लकडी के 395 क्यू.मीटर उत्पापन के दोहन कार्य, परिवहन कार्य एवं काष्ठ भंडार के रखरखाव हेतु रूपये 2348.00 लाख के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 23,48,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 28

वन्यजीवों द्वारा जनहानि, पशुहानि, कृषि भूमि फसल को नुकसान होने पर आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु रूपये 125.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 29

राज्य शासन द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिये सामूहिक बीमा योजना ''जनश्री'' लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस पर रूपये 284.17 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,84,17,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 34

भारत सरकार के जैव विविधता अधिनियम 2002 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप राज्य में पर्यावरण संतुलन एवं जैव विविधता के विकास के लिये जैव विविधता बोर्ड का गठन किया जाना है । यह एक नवीन व्यय का मद है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 35-36

राष्ट्र ीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के विकास अंतर्गत गोमर्डा, सेमरसोत, तमोर पिंगला एवं बादलखोल अभ्यारण्य हेतु 04 नग वाहन एवं तमोर पिंगला एवं बादलखोल अभ्यारण्य हेतु कमश: 03 एवं 02 नग मोटर सायकल कय करने हेतु रूपये 27.00 लाख का व्यय संभावित है । यह नवीन व्यय है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 27,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 37-45

राज्य शासन द्वारा जंगली हाथियों के रहवास क्षेत्रों के विकास एवं उन से होने वाली जन धन की हानि के क्षति को रोकने के लिए भारत शासन से सहायता प्राप्त ''प्रोजेक्ट एलिफेंट'' योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । इस वर्ष इस पर रूपये 64.00 लाख व्यय संभावित होगा ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 64,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4406

मद कमांक 46

एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) के अंतर्गत 02 जलटंकी युक्त मिनी ट्र क एवं 06 टाटा 207 कय करने का निर्णय लिया गया है । इस पर रूपये 32.50 लाख का व्यय संभावित है जो विभागीय बचत किया जावेगा । यह नवीन मद है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।